मुख्य मंत्री राहत कोष के लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014

भाग–एक

1 गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :–

गत लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में पिछले कई वर्षों के पैरे अनिर्णीत पड़े है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा इन पैरों के निपटारे हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः विभागध्यक्ष से अनुरोध है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र ठोस कार्रवाई की जाये और अधिक से अधिक पैरों का निपटारा सुनिश्चित किया जाये। गत अंकेक्षण प्रतिवेदना के पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** में दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान लेखा परीक्षा :–

मुख्य मंत्री राहत कोष के अवधि 4/2013 से 3/2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.01.15 से 10.02.15 के दौरान सचिवालय परिसर शिमला में सम्पन्न किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 07/2013 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 12/2013 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एव अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई त्रुटियों के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्क :–

मुख्य मंत्री राहत कोष के अवधि 04/2013 से 03/2014 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/– आंका गया। अनुभाग अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1/2015, दिनांक 10.02.15 जारी करके उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को शीघ्र भेजने हेतू संस्थाध्यक्ष से आग्रह किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

(क) संस्था द्वारा प्रस्तुत मुख्य मंत्री राहत कोष के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है:–

वित्तीय स्थिति

Year	Opening Balance	Income	Interest Received	Total	Expenditure	Closing Balance
2013–14	14792826	229057056	3683156	247533038	135214439	112318599

(ख) उपरोक्त वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को अन्तिम शेष की ₹112318599/– थी जबकि विभिन्न जमा खातों में दिनांक 31.03.2014 को निम्नविवरणानुसार अन्तिम शेष की ₹113009786.80 दर्शाई गई थी।

Balance as per UCO Bank Account A/C 5028	₹561421.00
HP State Co-Op Bank Account No. 315	₹42230355.80
Amount invested in FDR"s	₹70218010.00
योग=	**₹113009786.80**

इस प्रकार वित्तीय स्थिति और बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹691187.80 का अन्तर पाया गया जिसका समायोजन एवं मिलान किया जाना वांन्छित था। अतः आवश्यक मिलान करके खातों में आवश्यक समायोजन किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीध्र अवगत करवाया जाए।

(ग) इसके अतिरिक्त संस्था की रोकड़ बही में हिमाचल प्रदेश को–ओपरेटिव बैंक के खाता संख्या 315 तथा सावधि खाते में दिनाँक 31.03.14 को अन्तिम शेष ₹110998296/– का दिखाया गया है जिसमें गत वर्षों में निवेशित राशि ₹218010/– को जोड़ा नहीं गया प्रतीत होता है। उक्त के विपरीत हिमाचल प्रदेश कोपरेटिव बैंक के उक्त खात में तथा सावधि जमा योजना में दिनाँक 31.3.14 को निम्नविवरणानुसार क्रमशः ₹42230355.80 तथा ₹70218010 अर्थात कुल ₹112448365.80 दर्शाई गई थी।

	रोकड़ बही के अनुसार दिनाँक 31.3.14 का शेष		**बैंक खातों एवं सावधि योजना के अनुसार 31.3.14 तक का शेष**	
क्र0सं0	**विवरण**	**राशि**	**विवरण**	**राशि**
1	(A) Closing Balance as per Cash Book	40998296	Balance as per HPSC Bank A/C	42230355.80

	(B) Investment in FDR	70000000	No. 315	
	Total Closing Bal. Shown in Cash Book as on 31.3.14	110998296	Amount in FDR on 31.3.14	70218010.00
2	Amount in FDR"s	218010		
	Total	111216306		112448365.80

इस प्रकार रोकड़ बही में तथा बैंक खातों में दिनाँक 31.03.14 को ₹112448365.80 – ₹111216306.00=₹1232059.80) अन्तर था। इस राशि में ₹633544.80 का अन्तर वर्ष 2009–10 व 2010–11 का, ₹482394.00 का अन्तर वर्ष 2011–12 व 2012–13 का और ₹116121/– का अन्तर वर्ष 2013–14 का था। यद्यपि इस अन्तर की ₹1232059.80 को अगले वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह अप्रैल, 2014 में दर्शा दिया गया है तब भी गत वर्ष 2013–14 में रोकड़ बही तथा बैंक के अन्तर का मिलान किया जाए क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है हिमाचल प्रदेश को ओपरेटिव बैंक में जमा राशि को पिछले कई वर्षों से रोकड़ बही नहीं लिया जा रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः विवरणिका मे दर्शाये शेषों को पूर्ण छानबीन अपने स्तर पर करके वर्ष 2013–14 के रोकड़ बही के अन्तिम शेष को ठीक किया जाए तथा बैंक खाते तथा रोकड़ बही के शेषों में जो ₹1232059.80 का अन्तर आ रहा है, उसका समाधान भी शीघ्र किया जाये और अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त रोकड़ बही दिनाँक 31.3.14 को अन्तिम शेष में UCO Bank में पड़ी ₹561421/– को भी नहीं जोड़ा गया प्रतीत होता है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा संस्था स्तर पर जाँच करके इस राशि को भी रोकड़ बही में जोड़ा जाए।

5 सावधि जमाः–

संस्था द्वारा दिनाँक 31.03.14 तक सावधि खाते में ₹70218010/– का निवेश किया गया दर्शाया गया है जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

6 आंबटित की गई राशि के उपयोग के उपरान्त शेष बची राशि के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख तैयार न करनाः–

रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि मुख्यमन्त्री राहत कोष से निम्नविवरणानुसार विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को विविभन्न प्रयोजनों हेतु राशियों का आंबटन किया गया था परन्तु आंबटित राशियों के उपयोग के उपरान्त शेष बची राशि के सम्बन्ध में कोई अभिलेख तयार नहीं किए गए थे अपितु शेष बची राशि को रोकड़ वही में "Unspent money received

back" शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया था। वस्तुतः मुख्यमन्त्री राहत कोष कार्यालय द्वारा कुल स्वीकृत एवं जारी की गई राशियों तथा उसमें से उपयोग की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित तथा शेष अनुपयोग्य राशियों के अभिलेख तैयार किए जाने वांन्छित थे जिससे विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा शेष बची राशियों जोकि उनके द्वारा वापिस भिजवाई जा रही है अथवा वापिस भिजवाई चुकी है, का मिलान सम्भव हो सके। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार–बार आपत्ति दर्ज की गई थी, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि उपयोग के उपरान्त शेष बची राशियों के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख शीध्र तैयार किए जाए एवं अनुपालना स इस विभाग को अतिशीध्र सूचित किया जाए।

रसीद/चैक/बैंक ड्राफ्ट सं0	दिनांक	जिस संस्था से राशि वापिस प्राप्त की गई	राशि	रोकड़ बही पृष्ठ
991981	09.12.13	P.G.I. Chandigarh	6669	51
992965	06.01.04	-do-	180964	60
992578	06.01.14	-do-	80000	60
992861	06.01.14	-do-	1415	60
764498	27.01.14	I.G.M.C. Shimla	350000	67
993081	27.01.14	P.G.I. Chandigarh	437256	67
993067	27.01.14	P.G.I. Chandigarh	70000	67
993124	06.02.14	-do-	12220	71
151908	19.02.14	-do-	34687	77
635706	21.02.14	S.D.O. (Civil) Una	285500	78
151762	26.02.14	P.G.I. Chandigarh	578465	80
152054	13.03.14	P.G.I. Chandigarh	28112	85
193939	25.03.14	Sr. Medical Officer CHC, Halog, Dhami Distt Shimla	7309	87
486979	25.03.14	H.P. Govt. Dental College, and Hospital Shimla	7261	87
152073	27.03.14	P.G.I. Chandigarh	12329	88
152072	27.03.14	P.G.I. Chandigarh	57894	88

7 रोकड़ बही में प्राप्त राशि के स्त्रोत के बारे में विवरण का न दर्शाया जानाः–

मुख्यमंत्री राहत कोष की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि निम्न मामलों में रोकड़ बही में प्राप्त राशि की प्रविष्टियाँ ली गई थी परन्तु यह राशि कहाँ से और किससे प्राप्त की गई थी, इसके बारे में तथ्यों सहित विवरण नहीं दिया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व

अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति दर्ज की गई थी, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः प्राप्त राशि के स्त्रोत के बारे में रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	प्राप्त राशि	रोकड़ बही पृ0सं0
30.07.13	18837	108
01.08.13	5100	109
06.08.13	8000	115
08.08.13	4860	116
19.08.13	40000	120
19.08.13	23500	120
19.08.13	20000	120
21.08.13	1100	124
21.08.13	45450	124
22.08.13	11000	124
22.08.13	14215	124
26.08.13	20000	128
27.08.13	11000	134
27.08.13	25000	134
29.08.13	21000	135
02.09.13	11000	141
02.09.13	11000	142
02.09.13	20000	142
02.09.13	20000	142
02.09.13	20000	142
02.09.13	20000	142
02.09.13	20000	142
05.09.13	5100	147
09.09.13	11000	158
09.09.13	50000	158
05.10.13	35000	05
05.10.13	7008	05
05.10.13	5700	05
05.10.13	18740	05
09.12.13	101000	51
27.12.13	11000	56
06.01.14	32208	61
27.01.14	232732	67
27.01.14	10000	67

27.01.14	170600	67
27.01.14	57643	67
04.02.14	73025	70
04.02.14	62140	70
04.02.14	27615	70
04.02.14	71844	70
04.02.14	13134	70
06.02.14	89034	71
06.02.14	1000	71
06.02.14	16980	71
06.02.14	82500	71
06.02.14	49990	71
06.02.14	151000	71
06.02.14	1079831	71
06.02.14	117400	71
06.02.14	11431	71
06.02.14	100700	71
18.02.14	114300	76
26.02.14	103000	80
26.02.14	150300	80
13.03.14	49000	85
13.03.14	18100	85
13.03.14	2100	85
13.03.14	1500	85
13.03.14	31000	85
27.03.14	106700	88

8 मुख्यमन्त्री राहत कोष से Drikung Welfare Society Bodh Monastery at Rewalsar, Distt. Mandi, H.P. में Water Fitter लगाने के लिये ₹208020/– का भुगतान करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि U.O. No. US/CM-16(14)/2013-RF (Mandi) 104416 द्वारा दी स्वीकृति के अन्तर्गत मुख्यमन्त्री राहत कोष से Driking, Welfare Society Bodh Monastery at Rewalser Distt Mandi, H.P. में Water Filter की installation के लिए Yusuf Water Filter, Choi Bazar, Anandpur Sahib (Ropar) Punjab को ₹208020/– का भुगतान किया। उक्त राशि का भुगतान फर्म को इस शर्त पर किया जाना था कि Drikung Welfare Society Bodh Monestry Rewalser इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि स्थापित Water Filter

की Functioning सन्तोषजनक है, परन्तु अभिलेखों में इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। अतः ₹208020/– का जो भुगतान Yusuf Water Filter, Choi Bazari, Anandpur Sahib को बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया ह, उस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इसके अतिरिक्त स्वीकृत पत्र में दी शर्त के अनुसार सम्बन्धित Monostry स अब प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

9 जिलाधीशों द्वारा जिला राहत कोष का 50% भाग मुख्यमन्त्री राहत कोष खाते में जमा न करवानाः–

सचिव, सामान्य प्रशासन हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 21–2/71–जी0ए0डी0 दिनाँक 15.9.92 के अनुदेशों के अनुसार जिला राहत कोष में प्रत्येक वर्ष एकत्रित राशि का आधा भाग अर्थात 50% भाग मुख्यमन्त्री राहत कोष में जमा करवाना आवश्यक है परन्तु कई जिलाधीशों द्वारा उक्त प्रावधान के अनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा जिला राहत कोष में कुल प्राप्त ब्याज की राशि का विवरण भी मुख्यमन्त्री राहत कोष को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों में भी लगातार सुझाव दिया जाता रहा है कि समस्त जिलाधीशों से जिला राहत कोष में प्राप्त राशि का 50% भाग मुख्यमन्त्री राहत कोष में प्राप्त करवा जाना सुनिश्चित किया जाए परन्तु इस बारे प्रदेश के अधिकतर जिलाधीशों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः सचिव, सामान्य प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 21–2/71–जी0ए0डी0 दिनाँक 15.09.92 के दिए गए प्रावधानों के अनुसार जिलाधीशों द्वारा मुख्यमन्त्री राहत कोष में राशि जमा न करवाने का मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि समस्त जिलाधीशो से उनके जिला राहत कोष में अब तक राशि जमा का वर्षवार ब्यौरा प्राप्त किया जाए और उनके द्वारा प्राप्त राशि का 50% भाग उपरोक्त पत्र में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्यमन्त्री राहत कोष जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

10 विभिन्न उद्देश्यों/प्रयोजनों हेतु आंबटित राशियों से सम्बन्धित वास्तविक रसीदें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्राप्त न किया जानाः–

अभिलेखों की ज़ाँच करने पर पाया गया कि मुख्यमन्त्री राहत कोष से विभिन्न उद्देश्यों/प्रयोजनों हेतु राशि आंबटित/जारी की गई परन्तु जारी की गई राशि के सन्दर्भ मे वास्तविक भुगतान की पावतियाँ/रसीदें तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। चयनित मासो में इस प्रकार के कुछेक प्रकरण पाये गये थे जिनका विवरण **परिशिष्ट "ग"** में

दिया गया है। इन प्रकरणों के अतिरिक्त इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी जहाँ वास्तविक भुगतान की रसीदें अथवा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं की गई है, की संस्था द्वारा अपने स्तर पर जाँच की जाए और वास्तविक भुगतान रसीदें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 **लघु आपत्ति विवरणिका** :— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12 **निष्कर्ष** :— लेखों में विशेष रूप से रोकड़ बही के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी(15)(14)28/76 खण्ड—5,—1889—1890 दिनांक13.04 2015, शिमला—171009.

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 1. उप सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002 को इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर इस विभाग क0 एक माह के भोतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....................

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "A" **पैरा 1 के सन्दर्भ में**

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/83

1	पैरा 3(बी)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/88

1	पैरा 3(सी) व (डी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

1	पैरा 6(1)(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(1)(2)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/94

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 11	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/98

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा 3(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा 3(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2002

1	पैरा 3(1)(2)(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2009

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क दिनाँक 29.03.14 को बैंक ड्राफ्ट संख्या 402847 द्वारा भेज दिया गया है)
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
5	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 8	निर्णीत	(सावधि निवेश रजिस्टर का रख रखाव कर दिया तथा संस्था द्वारा प्रस्तुत सावधि निवेश में निवेशित राशि की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के दर्शाई गई है)
7	पैरा 9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई)
8	पैरा 10	अनिर्णीत	